भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6419

जिसका उत्तर 02.04.2026 को दिया जाना है

हिट एंड रन के मामले

6419. श्री गिरिधारी यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में हिट एंड रन के मामलों के संबंध में कोई आंकडे हैं और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) बिहार के बांका जिले में हिट एंड रन के सौ मामलों सहित सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पीड़ितों को मुआवजा न दिए जाने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजे के भुगतान में विलंब के मामलों की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) सरकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर "भारत में सड़क दुर्घटनाओं" पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। आंकड़ों के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2020 से 2024 के दौरान टक्कर के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

सरकार ने दिनांक 25 फरवरी, 2022 के सा.का.नि 163(अ) के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें गंभीर चोट लगने पर मुआवजा प्रदान करने हेतु हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 अधिसूचित की है। यह योजना 1 अप्रैल, 2022 से लागू की गई है। योजना के अनुसार, मृत्यु की स्थिति में 2.00 लाख रुपये की एक निश्चित राशि और गंभीर चोट लगने की स्थिति में 50,000 रुपये की एक निश्चित राशि दी जाएगी।

इस योजना के अनुसार, आवेदक को उस अनुमंडल या तालुका के दावा जांच अधिकारी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ मुआवजे की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जहां पर दुर्घटना हुई थी। दावा जांच अधिकारी को दावा प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपना निर्णय बताना आवश्यक है, जिसके बाद दावा निपटान अधिकारी को दावों को स्वीकृत करने तथा स्वीकृति आदेश को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को अग्रेषित करने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया जाता है। जनरल इंश्योरेंस

काउंसिल पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर दावेदार द्वारा बताए गए बैंक खाते में ई-भुगतान करेगी। 01 अप्रैल, 2022 के बाद से हिट एंड रन मामलों का डेटा **अनुलग्नक-ख** के रूप में दिया गया है।

मंत्रालय ने सा.का.नि 153(अ), दिनांकित 02.03.2026 के माध्यम से हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 में संशोधन किया है, ताकि इसके कार्यान्वयन को और सुव्यवस्थित और मजबूत किया जा सके।

योजना के पैराग्राफ 13 के तहत, जिला सड़क सुरक्षा समिति को योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाने का अधिकार है। इसी तरह, योजना के पैराग्राफ 13ए के तहत, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के लिए इसी प्रकार के कदम उठा सकती है।

हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 के तहत दावों के निपटान में देरी के समाधान के लिए पत्र जारी किया गया और हितधारकों को वैधानिक और प्रक्रियागत आवश्यकताओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने और दावों के निपटान में दावा निपटान अधिकारी की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में बीमा कंपनियों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी, पूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करने और जिला स्तर पर लंबितता को कम करने का निर्देश दिया गया है।

अनुलग्नक-क

"हिट एंड रन के मामले" के संबंध में श्री गिरिधारी यादव के द्वारा दिनांक 02.04.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6419 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

टक्कर के प्रकार के कारण "हिट एंड रन" के रूप में दुर्घटनाएँ						
क्र. सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**हिट एंड रन**				
		2020	2021	2022	2023	2024(P)
1	आंध्र प्रदेश	1196	1796	1560	1340	1308
2	अरुणाचल प्रदेश	7	5	2	0	0
3	असम	1235	1393	1163	1045	925
4	बिहार	774	1257	2903	3817	5759
5	छत्तीसगढ़	1539	1553	1487	1494	1544
6	गोवा	36	34	35	20	11
7	गुजरात	1552	1720	2209	2214	1902
8	हरियाणा	2386	2644	2590	1750	1809
9	हिमाचल प्रदेश	411	182	218	237	313
10	झारखंड	800	953	990	1073	1304
11	कर्नाटक	2193	1958	3017	2737	2284
12	केरल	1118	1847	1953	1278	958
13	मध्य प्रदेश	11550	9690	12250	14093	12453
14	महाराष्ट्र	6049	7974	8768	8987	6485
15	मणिपुर	20	24	88	23	22
16	मेघालय	47	45	39	38	41
17	मिज़ोरम	11	14	11	11	13
18	नागालैंड	29	38	24	34	5
19	ओडिशा	1737	1866	2109	2357	2493
20	पंजाब	1238	1102	1563	1826	1954
21	राजस्थान	4650	5052	5618	5560	3379
22	सिक्किम	13	23	11	18	4
23	तमिलनाडु	3829	3704	4774	5498	5799
24	तेलंगाना	2041	2065	2099	2126	2408
25	त्रिपुरा	149	126	171	137	110
26	उत्तराखंड	115	163	223	222	245
27	उत्तर प्रदेश	5823	6770	7585	6867	11209

28	पश्चिम बंगाल	1180	1204	1314	1251	1447
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16	12	10	22	9
30	चंडीगढ़	31	49	18	16	22
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	30	52	68	66	35
32	दिल्ली	1445	1592	1772	1751	1575
33	जम्मू और कश्मीर	337	469	730	807	682
34	लद्दाख	लागू नहीं	3	5	13	8
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	36	36	10	55	69
कुल		53623	57415	67387	68783	68584

टिप्पणी: 1. एनए: लागू नहीं

2. कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए डेटा का मिलान किया गया है।

3. 2024 के लिए डेटा अनंतिम है

4. वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल के आंकड़े वर्ष 2023 के लिए राज्य पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के पैटर्न और वर्ष 2024 के लिए राज्य के समग्र ई-डीएआर डेटा के आधार पर पुनः तैयार किए गए हैं

5. कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 के लिए पश्चिम बंगाल और कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के लिए तमिलनाडु के डेटा का मिलान किया गया है।

अनुलग्नक-ख

"हिट एंड रन के मामले" के संबंध में श्री गिरिधारी यादव के द्वारा दिनांक 02.04.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6419 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

	2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026 (28.02.2026 तक)	
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**पंजीकृत दावे**	**भुगतान किए गए दावे**	**पंजीकृत दावे**	**भुगतान किए गए दावे**	**पंजीकृत दावे**	**भुगतान किए गए दावे**	**पंजीकृत दावे**	**भुगतान किए गए दावे**
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	583	171	765	851
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	347	0
असम	0	0	0	0	13	5	16	9
बिहार	1	0	2774	2047	3959	2912	2,811	2872
छत्तीसगढ़	0	0	3	1	102	53	488	315
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	1	0	18	11	678	350	819	720
हरियाणा	0	0	2	1	42	24	515	168
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	12	9	21	13
झारखंड	190	88	399	432	433	312	790	563
कर्नाटक	0	0	11	3	193	130	463	385
केरल	0	0	1	1	57	24	107	99
मध्य प्रदेश	1	0	73	34	231	133	929	425
महाराष्ट्र	2	1	21	10	47	49	135	58
मणिपुर	0	0	0	0	1	2	15	11
मेघालय	0	0	0	0	0	0	7	1
मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	2	1
नागालैंड	0	0	2	0	1	1	0	0
ओडिशा	0	0	0	0	52	35	59	57
पंजाब	0	0	1	1	53	27	107	65
राजस्थान	8	5	35	24	121	80	395	230
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	0	0	149	73	418	208
तेलंगाना	0	0	0	0	45	10	261	150
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	4	4
उत्तर प्रदेश	1	1	54	5	164	104	219	106

उत्तराखंड	0	0	9	0	41	24	66	19
पश्चिम बंगाल	1	0	6	1	5	9	41	9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	1	1	6	2
दिल्ली	0	0	0	0	1	1	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	5	1
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	4	0	3	4	2	6
कुल दावे	**205**	**95**	**3413**	**2571**	**6987**	**4543**	**9813**	**7348**
भुगतान की गई कुल राशि		**1.78 करोड़**		**50.76 करोड़**		**84.14 करोड़**		**125.9 करोड़**
